

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Phone: 01343-222447
Fax: 01343-222447
Email: k. eepmgs@kotdwara.nic.in

पत्राक 212/ पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
सेवा में,

दि० 30/03/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.659 है० वनभूमि (FP/UK/ROAD/11141/2015) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/937 दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग पर भारत सरकार के द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्तियों के निस्तारण निम्नवत है।

क्र० सं०	आपत्ति	सैदान्तिक स्वीकृति की शर्तें	निस्तारण
1	NPV calculation sheet is submitted/uploaded for Rs. 5313801.00 but only Rs 4781855.00 has been deposited in CAMP. State Government may deposit the balance amount of NPV.		प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन के पत्रांक 1418/12-1 दिनांक लैन्सडौन 16.02.2019 के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० 3153930.00 एवं एन०पी०बी० की धनराशि रू० 4781855.00 अर्थात् कुल 7935785.00 को भारत सरकार के कैम्प में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। (संलग्न :- ऑनलाईन बैबसाईड की छायाप्रति।) यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त पत्र में 5313801.00 को संशोधित करते हुये 4781855.00 जमा करवाने के निर्देश प्राप्त हुये थे, उक्त धनराशि को भारत सरकार के कैम्प में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। किन्तु एन०पी०एस० कैलकुलेशन सीट में संशोधित करने से छुट गया था।
2	In reply to point No 03 & 05 undertaking submitted in photocopy and in reply to point No 05 an incorrect undertaking is submitted. State Government may submit the correct and original copy of undeerakings.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए। सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वचन बद्धता (संलग्न) वचन बद्धता (संलग्न)

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
कोटद्वार (गढवाल)

3	In reply to point No. 06 a photocopy of plantation scheme has been submitted which is also not correct and found sketchy. State Government may submit the detailed original copy of plantation scheme.	The State Govt. will submit plantation scheme as per Ministry guideline dated 08-11-2017 in lieu of 7 ha area of proposed CA land Falling under VDF and MDF.	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन स्तर से प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु0 3153930.00 का प्राक्कलन गठित किया जाना है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त धनराशि को भारत सरकार के कैम्प में ऑनलाईन जमा कर दिया गया है।
4	Compliance to point No 07 & 08 has not been submitted. State Government may comply to point No. 07 & 08 in principle letter dt 17-12-2018	The state Govt. will change the Eco class at Para 4(i), Part-II and revised NPV Calculation sheet accordingly. State Govt. may submit the original hard copy of CA scheme for village Manjokhi as mentioned in online and also upload the same at para 13 online Part II.	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन स्तर से कार्यवाही आपेक्षित है। प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन स्तर से कार्यवाही आपेक्षित है।

पत्रांक 212 / पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड तददिनांक.....

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार(पौडी गढवाल)



कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

Tel: 01382-2224570
Fax: 01382-2223847
E-mail Id: eepmgsy@kotdwara.nic.in

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.659 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में एन०पी०वी० के शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई दर जमा की जायेगी।


अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०— सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

7th- 01383-2220079
Fax- 01383-2220047
E-mail id- eepingsyhotdwar@gmail.com

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.659 है० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

महाराष्ट्र सरकार
पर्यावरण प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लेन्सडौन
दिनांक 19/02/2019 दिनांक, लेन्सडौन, फरवरी, 16, 2019

आपका पत्रांक
219/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0 दिनांक 13.02.2019

आपका पत्रांक 219/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0 दिनांक 13.02.2019
आपका पत्रांक 219/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0 दिनांक 13.02.2019

आपका पत्रांक 219/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 ख0 दिनांक 13.02.2019

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र सं0 08वी/यू0सी0पी/06/87/2016/एफ0सी0/1961 दि0 17.12.2018 द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, उसके क्रम में शर्त सं0 01 से 08 तक की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.318 हे0 ग्राम- मंजाखी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि वर्तमान यथा संशोधित दर रु0 306531/प्र0हे0 के अनुसार इस मद में कुल $(306531 \times 11.318) = 3469317.86$ या 3469318 (चौतीस लाख उनसठ हजार तीन सौ अठारह) रुपये मात्र की धनराशि आपके स्तर से जमा की जानी है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 02 के अन्तर्गत एन0पी0वी0 प्रस्ताव में ब्रुटिवश 5313801.00 अंकित की गई थी के सापेक्ष संशोधित दर जो कि इं0को0 क्लास 05 के अन्तर्गत है, जिसका घनत्व 0.4 प्रतिशत से अधिक है, धनराशि $(845000 \times 5.659) = 4781855.00$ (सैतालीस लाख इक्कासी हजार आठ सौ पचपन मात्र) जमा की जायेगी। यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि आपके द्वारा जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का बचनबद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके द्वारा आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
4. उक्त समस्त धनराशि वन विभाग के कैंपा मद अन्तर्गत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तथ्य निकाय के लेखा सं0 एस0वी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रॉप्ट/बैंक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगा। इस आशय की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।

भवदीय

(इन्दु शर्मा उपाध्याय)

प्रभागीय वनाधिकारी

भूमि संरक्षण वन प्रभाग लेन्सडौन



कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

☎ 14-01383-223478
☎ 14-01383-223477
Email: pmjoi@nic.in

पत्रांक **426/**
सेवा में

दि० **26/04/2019**

प्रभागीय वनाधिकारी,
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पीडी गढ़वाल में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.659 हे० सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

संदर्भ — भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/८७/२०१६/एस०सी०/१९६१ दिनांक १७.१२.२०१६

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत किमी० ५७.०० के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग निर्माण हेतु ५.६५९ हे० सिविल वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ११.३१८ हे० ग्राम - मंजोखी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान देतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत प्रदान की जायेगी।	दिनांक ०२.०४.२०१९ को जमा करवा दी गयी है। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७- एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	दिनांक ०२.०४.२०१९ को जमा करवा दी गयी है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाए।	मान्य है। प्रपत्र संलग्न
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाएं अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	ऑन लाइन चालान जनरेट कर खाते में जमा करवा दिया गया है। परिदेश वेबसाइट से प्राप्त भुगतान विवरण की प्रति संलग्न।
5	सड़क-निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यव पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
6	The State Govt. will submit plantation scheme as per Ministry guideline dated 08-11-2017 in lieu of 7 ha area of proposed CA land Falling under VDF and MDF.	मान्य है। अनुपालन किया जायेगा।
7	The state Govt. will change the Eco class at Para 4(i), Part-II and revised NPV Calculation sheet accordingly. State Govt. may submit the original hard copy of CA scheme for village Manjokhi as mentioned in online and also upload the same at para 13 online Part I.	मान्य है।

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों का अनुपालन

1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	एन०पी०वी० की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन०पी०वी० देने के लिए बाध्य होगा।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु चयनित ११.३१८ हे० ग्राम- मंजोखी सिविल एवं सोयम भूमि को ९ माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत	मान्य है।

	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाएगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आसोसी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
6	निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी।	मान्य है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	मान्य है।
8	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव - जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	मान्य है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पास में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	मान्य है।
10	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 358 से अधिक न हो।	मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन ज़रूरी अनुमित लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य है।

अतः आपके संज्ञान में लाना है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग द्वारा किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को सूचित करने का कष्ट करें एवं मोटर मार्ग पर स्थित पेड़ों के छपान एवं कटान की कार्यवाही अपने स्तर से करवाने का कष्ट करें। जिससे मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्न- 1. भुगतान की प्रति
2. उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

(राजेश कुमार)
अधिशोषी अभियन्ता
दि०

पत्रांक 426 / वनभूमि
निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- 1- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
4. सहायक अभियन्ता - प्रथम सिंचाई खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 कोटद्वार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार)
अधिशोषी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

संख्या 257
पत्रांक
दिनांक 2/4/18

केवल E-Mail/Fax द्वारा

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

E-Mail ID: dmgarhwal@gmail.com / PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 1190 / 26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0) / 2018, दिनांक पौडी 21, 2018

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडौन ने अपने पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी० 2 (जो०डी०आर०) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं० 15 के खसरा नं० 157 रक्वा 6.153 है० मध्ये 5.983 है०, खसरा नं० 3317 रक्वा 1.920 है०, खसरा नं० 3337 रक्वा 2.891 है० एवं खसरा नं० 0.524 है० कुल रक्वा 11.318 है० भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई ऐतिहासिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, कब्रस्तान, शमशानघाट, चारागाह, पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी० 2 (जो०डी०आर०) से मंजखोली मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु उपजिलाधिकारी लैन्सडौन की आख्या एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं० 15 के खसरा नं० 157 रक्वा 6.153 है० मध्ये 5.983 है०, खसरा नं० 3317 रक्वा 1.920 है०, खसरा नं० 3337 रक्वा 2.891 है० एवं खसरा नं० 0.524 है० कुल रक्वा 11.318 है० भूमि,श्रेणी 9 (ख)(2) में उत्तराखण्ड सरकार के नाम झाड़ी दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार लैन्सडौन तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, लैन्सडौन।

(सुशील कुमार)

जिलाधिकारी, गढ़वाल।

NON ZA क्लॉनी डेट २०

पहली ग्राम - मंजोखी पहली - विचल, बोग्स - १ रा. नि. से - सिलोनी, तह. लम्बाई, ग. चौ. ५५

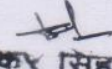
सेक्की १ (ख) (२)

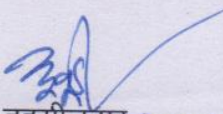
2	3	4	5	6	7	लेख
15	साड़ी	157	306 111	प्रमाणित		तहसीलदार लौकेश्वर के आदेश दि. 26-3-18 एवं नार्मालय जिलाधिकारी गढ़वाल आदेश सं. - 1194/26 - प्रशा. साधि. (सा. प्रशा. 0) / 2018 दिनांक पाँच मार्च 21, 2018, आदेश - जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि.मी. 5700 के ली. 2 (जो. डी. मार्ग) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.650 कि.मी.) के नव निर्माण हेतु ग्राम मंजोखी उपजिलाधिकारी लौकेश्वर की आरक्ष. एवं शासन के से दि. 21 अप्रैल 2018 ग्राम - मंजोखी पहली कि. बोग्स तहसील लौकेश्वर की नौन जे. ए. क्लॉनी, काला सं. - 15 के खसरा नं. 157 रकबा 6.153 हे. मध्ये 5.983 हे. खसरा नं. 3317 रकबा 1.920 हे. खसरा नं. 3337 रकबा 2.891 हे. एवं खसरा नं. 3352 रकबा 0.524 हे. कुल रकबा 11.310 हे. अतिशेणी 9 (ख) (2) में उत्तराखण्ड सरकार के नार्मल सा. डी. दर्ज है, अति को जालि इवक क्लॉनी कारोबार हेतु वन विभाग के नाम हस्तांतरण एवं नामांतरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है हस्ताक्षर सुभाष कुमार जिलाधिकारी गढ़वाल,
	साड़ी	3317	1.920	वनरक्ष		
	साड़ी	3337	2.891	वनरक्ष		
	साड़ी	3352	0.524	वनरक्ष		
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	
				6.153	वनरक्ष	
				3317	वनरक्ष	
				3337	वनरक्ष	
				3352	वनरक्ष	
				306 111	प्रमाणित	

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण में उपयुक्त सिविल राज्य भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण
सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिला पौड़ी गढ़वाल में कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.659 है० सिविल भूमि के सापेक्ष दुगने अर्थात् 11.318 है० भूमि ग्राम मंजोखी पट्टी बिचला ढांगू-1 तहसील लैन्सडौन जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड की राज्य सिविल भूमि को विधिवत रूप से वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा। यह भूमि स्थल विशिष्ट है।

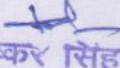

पूष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी
तहसील
जिला


तहसीलदार
लैन्सडौन


उप-जिलाधिकारी
लैन्सडौन (गढ़वाल)


जिलाधिकारी
गढ़वाल (पौड़ी)

होया प्रति स्थापित


पूष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी
तहसील
जिला

1/6 N-20A
2014

107/54

1972-1973

$$\frac{101441}{15572}$$
$$\frac{45440}{9} - \frac{41432}{9}$$
$$\frac{\text{cathodic}}{\text{anodic}} = \frac{I_{\text{cath}}}{I_{\text{an}}}$$
[illegible]

द्वारापनि स्यापि

[illegible]

पुष्कर सिंह
राजस्व उपनिरीक्षक
गट्टी
राहसील
जिला

पारे मो जना :- जनपद पंच गवारा से प्रधानमन्त्री काय लडाक मोना) न मसगन सिरो लाड के फेकोन मोरो को हउ
 मोना - अंजोली

रुक्म मही - किराक) हावे I		राठनि - सिरोना) - लहलाक - लमसगन		गवारा																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
157	6.135	15	उत्तरा 705 लका														5.979			
3317	1.920	15	—														1.920			
3337	2.091	15	—														2.091			
3352	0.250	15	—														0.528			
मोक			—														11.318			

नोट - उत्तर दिने नाममान हुक 11.318 हे प्रक वन किराज के पद प्र किरासोपण हउ प्र किरासि 8

दुग्धा प्रति सत्यपति

पुष्कर सिंह
 राजस्व सपनिरीसक
 पट्टी
 तहसील
 जिला

पुष्कर सिंह
 राजस्व सपनिरीसक
 पट्टी
 तहसील
 जिला

साट-स०

वावत ओदरवार दिनु सविपूक वृषारोण दिनु

५४५५ ३२१२

१ भील

66
 मुकेश सिंह
 मध्य एशिया निरीक्षण
 पृष्ठ 63
 19/11/2019

इति श्री कृष्णार्जुन संवादे

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

154

हामा पतिसुत्थापित

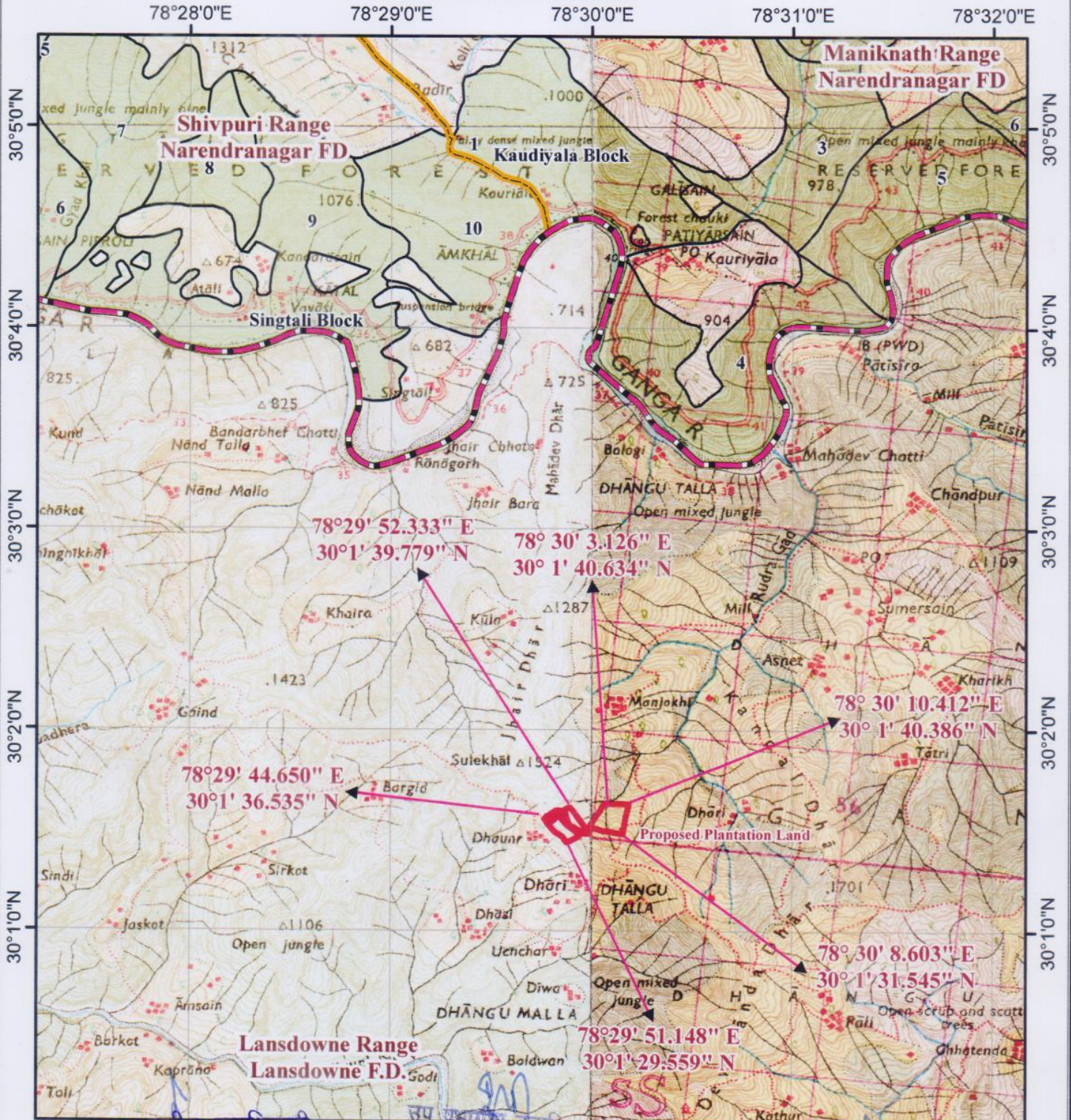
पुस्तक
संख्या
संख्या
संख्या

पुस्तक
संख्या
संख्या
संख्या

संख्या

डिजिटल मैप :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि० मी० 57 के टी० -2 (ओ० डी० आर० मोटर मार्ग) - मंजोखी मोटर हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मंजोखी सिविल सोयम (क्षे०-11.318है०)

0 0.5 1 1.5 2Km



Legend

- Proposed Plantation Land
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary
- Reserve Forest Area

अधिसारी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिचाई खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल)

जिलाधिकारी

गढ़वाल

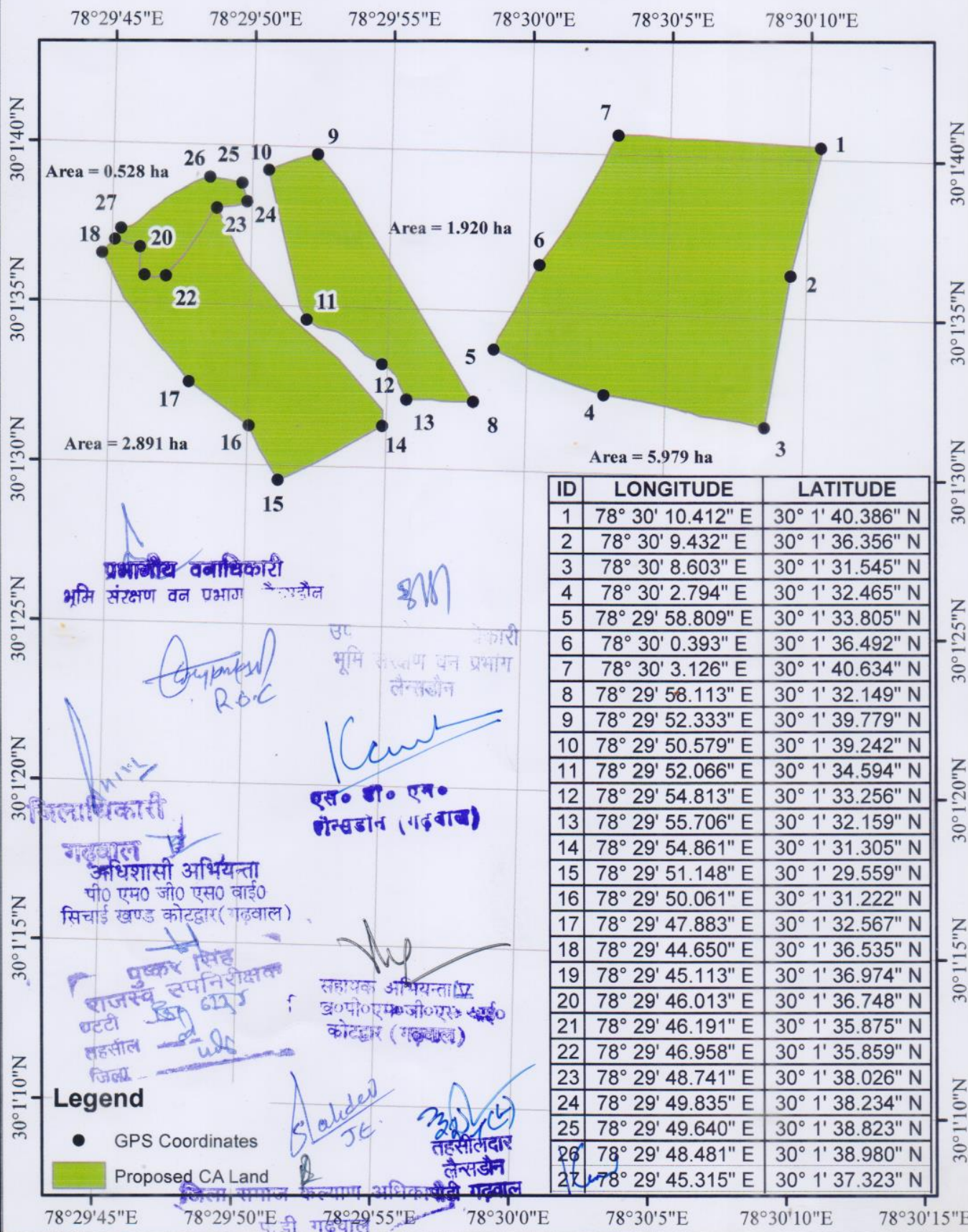
जिला अधिकारी
गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
सि० ख० पी० एम० जी० एस० वाई०
कोटद्वार (गढ़वाल)

जीयोरेफेरेंस मैप – जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कि० मी० 57 के टी० -2 (ओ० डी० आर० मोटर मार्ग) – मंजोखी मोटर हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मंजोखी सिविल सोयम (क्षे०-11.318है०)

0 95 190 380
M

Scale - 1:5,000



पत्राक सं. 964

दि. 29/06/22

Phone & Fax no. 0135-2658294

E-mail: cfshilwalik@yahoo.co.in



कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्राक- 3252/12-1 दिनांक, देहरादून, 23 जून 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी 0 57.00 के टी 02 (ओ 0डी 0आर 0) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 किमी 0) के निर्माण हेतु 5.659 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ :

भारत सरकार का पत्रांक 8वीं/यूसी 0पी 0/06/87/2016/एफ 0सी 0/937 दिनांक 01.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर लगाई गई बिन्दुवार आपतियों का निराकरण प्र० व 0अ०, मू० सं० वन प्रमाण, लैन्सडौन के पत्रांक 2230/13-2(3) दि० 20.06.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है -

क्र०	आपत्ति	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	निस्तारण
01	NPV calculation sheet is submitted/uploaded for Rs. 53,13,80/- but only Rs. 47,81,855/- has been deposited in CAMPA. State Govt. may deposit the balance amount of NPV.	-	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा पत्रांक 1418/12-1 दिनांक 16.02.19 के द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि को संशोधित करते हुए 47,81,855/- की शर्त लगाई गई थी, जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन जमा कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
02	In reply to point no. 03 & 05, undertaking submitted in photocopy and in reply to point no. 05 an incorrect undertaking is submitted. State Govt. may submit the correct and original copy of undertakings.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बढ़ता प्रस्तुत की जाय। सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की वचन बढ़ता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत वचन बढ़ता प्रमाण-पत्र संलग्न है।
03	In reply to point no. 6, a photocopy of plantation scheme has been submitted which is also not correct and found sketchy. State Govt. may submit the detailed original copy of plantation scheme.	The State Government will submit plantation scheme as per Ministry guideline dt 08-11-2017 in lieu falling under VDF and MDF.	प्रभागीय कार्यालय द्वारा तैयार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के प्राक्कलन की प्रति संलग्न है।
04	Compliance to point no. 07 & 08 has not been submitted. State Govt. may comply to point no. 07 & 08 of in-principle letter dt. 17-12-2018	The State Govt. Will change the Eco class at para 4(i), para-II and revised NPV Calculation sheet accordingly. State Govt. may submit the original hard copy of CA scheme for village Manjokhi as mentioned in online and also upload the same at para 13 online part II.	प्रभागीय कार्यालय द्वारा आंकलित एन०पी०वी० की धनराशि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। प्रभागीय कार्यालय द्वारा तैयार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के प्राक्कलन की प्रति संलग्न है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, देहरादून।

D.T.

पत्रांक :- 3252/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3213/12-1 दि० 17.06.2022 से जारी प्रमाण पत्र की

मूल प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडोन।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड, कोटद्वार।

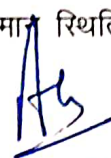
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार मूल में।

(डॉ० धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कि०मी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी गोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु 11.318 है० वनभूमि का गैरव्यावहारिक कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम-मंजोखी, पट्टी- बिचला ढांगू, तहसील-लैन्सडौन, जिला पौड़ी गढ़वाल के नॉन०जेड०ए० श्रेणी 9(ख)2 झाडी दर्ज अभिलेख, खाता सं० 15 के खसरा नं० - 157 रकबा 6.153 है० मध्ये 5.983 है०, खसरा नं० 3317 रकबा 1.920 है०, खसरा नं० 3337 रकबा 2.891 है० एवं खसरा नं० 0.524 है० कुल रकबा 11.318 है० भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र सं० आर-1190/28-11.318 है० भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रशा०अधि०(सा०प्रशा०)/2018 दिनांक पौडी मार्च 21, 2018 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं० 869/F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं० 1566/14-2-97-800 (II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।


वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

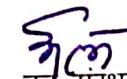

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, वन प्रभाग
लैन्सडौन (गढ़वाल)

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड

पत्रांक:-3213/12-1 दिनांकित, देहरादून 17. जून 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1.- अपर प्रमुख वनसंरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. - प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. - प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. - अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. - मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. - जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
7. - अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड कोटद्वार।
8. - गार्ड बुक।


वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE Rs.)	Amount to be Paid/Amount Paid (In PRINCIPLE Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/11142/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11142/2015) Naudihal Malakota Road to Sirasu M R	ROAD111422015408	6111142408	29 Apr 2020	CA: 5948600/- ,Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 38635980/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 44584580/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 15 Jul 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 16 Jan 2021 Transaction Date : 21 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/7111412101223) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?)
2	FP/UK/ROAD/8123/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014) Construction of Naugoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00	ROAD81232014278	6181230278	26 Feb 2020	CA: 3277428/- ,Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3193020/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6470448/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 30 Jun 2020 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Jul 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/6112912491215) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?)
3	FP/UK/ROAD/11139/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11139/2015) Masikhal to Sila Danda Motor Road	ROAD111392015577	6111139577	09 Oct 2019	CA: 1394716/- ,Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1922375/- Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3317091/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 16 Nov 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Nov 2019 Transaction Date : 10 Dec 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111512151210DAFS1shiladani) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?)
4	FP/UK/ROAD/24764/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/24764/2017) Dwarikhal to Barsuri	ROAD247642017427	6124764427	07 Mar 2019	CA: 1300918/- ,Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1394154/- , 0 : 0/- 0 : 0/- 0 : 0/- Total : 2695072/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 29 May 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 30 May 2019 Transaction Date : 12 Jun 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/5112212321211) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?)
5	FP/UK/ROAD/11141/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11141/2015) T02 (ODR) to Manjokhi MR	ROAD111412015508	6111141508	17 Dec 2018	CA: 3153930/- ,Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 4781855/- , No : 0/- No : 0/- No : 0/- Total : 7935785/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 15 Mar 2019 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 01 Apr 2019 Transaction Date : 02 Apr 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111412281211) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?)

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

☎ 01383-223477
☎ 01383-223457
Email Id: ceo@pmgsyholdwara@gmail.com

पत्रांक 369 / पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
सेवा में,

दि० 17/05/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग (7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु 5.659 है० वनभूमि (FP/UK/ROAD/11141/2015) के नव निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/1961 दिनांक 17.12.2028, पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/937 दिनांक 09.08.2019, इस कार्यालय के पत्रांक 426/वनभूमि दिनांक 26.04.2019 एवं 212/पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड दिनांक 30.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/1961 के द्वारा किमी० 57.00 के टी०२ (ओ०डी०आर०) से मंजोखी मोटर मार्ग पर सैदान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। सैदान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करते हुये इस कार्यालय के पत्रांक सं० 426/वनभूमि दिनांक 26.04.2019 के द्वारा संलग्नको सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

तत्पश्चात् भारत सरकार के द्वारा अपने पत्रांक 08बी०/यू०सी०पी०/06/87/2016/एफ०सी०/937 दिनांक 09.08.2019 में 4 आपत्तियों दर्ज की गयी। जिसका निस्तारण इस कार्यालय के पत्रांक 212/पी०एम०जी०एस०वाई०-सिंचाई खण्ड दिनांक 30.03.2022 के द्वारा संलग्नको सहित करते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

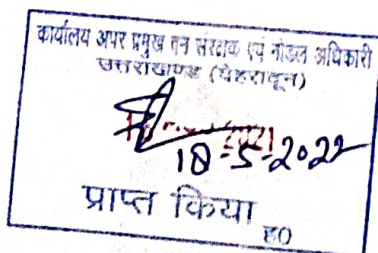
अतः सुलभ संदर्भ हेतु सैदान्तिक स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों एवं आपत्तियों के निस्तारण की सत्यापित छायाप्रतियाँ 2 प्रतियों में पुनः संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

पत्रांक 369 / पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड तददिनांक
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रतिलिपि:-
- 1.- अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
 2. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड देहरादून।
 3. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०- सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)